

प्रेषक,

एमोबी० सिंह

निरीय सचिव

उम्मीद शासन।

सेवा ग्रे.

८ निदेशक,

ग्रामीण नगरीय विकास अभियान,

उम्मीद, जैधनका।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्नति कार्यक्रम दिभाग।

लघुत्तम : दिनांक : २५ अगस्त, २०१८

विषय:- पितॄतीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत शहरी गरीबी के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य वर्सिताँ तथा नगरीय भौतिक वर्सिताँ में आसरा योजनावर्गत इन स्त्री॒ आवासों की ०१ परियोजना की वित्तीय स्थीरूपि।

नोट-

उपर्युक्त विषयक आपके पक्ष संख्या-१०१६/१८/१०/८८/पितॄतीय/आसरा/तकनीकी (झीरपुर-कुरारा-२२९) दिनांक १२ जून, २०१५ के संदर्भ में मुझे यह कहने का विशेष दुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य वर्सिताँ तथा नगरीय भौतिक वर्सिताँ में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत पितॄतीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-८३ में लिखितविचित तात्त्विक में उल्लिखित जनपद-हमीरपुर की जिकाय-कुरारा की १४५ इकाई-स्त्री॒ आवासों की ०१ परियोजना है त्रु॒ ₹० ७५८.०८ लाख की दृशासनीय एवं वित्तीय स्थीरूपि सहित, ३५त के सापेक्ष तात्त्विक के स्तम्भ-७ में अकिल प्रथम किशन के ४८ में परियोजना लागत का ३० प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि ३७९.०४ लाख (रुपये तीन करोड़ उन्नासी लाख चार हजार भाव) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिवर्णों के अर्थात् सहृदय स्थीरूपि प्रदान करते हैं:-

(प्रति लाख रु० में)

क्र०	जनपद/ सं० निकाय या नाम	कुल आवासों की संख्या।	परियोजना की कुल आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्गों की आवासों की संख्या।	अनुसूचित वर्गों के आवासों की संख्या।	जनपद/ सं० निकाय/ या नाम	जनपद/ सं० निकाय/ या नाम	प्रथम किश (३० प्रतिशत)
१	२	३	४	५	६	७	८	९
१	हमीरपुर/ कुरारा	२२९	११९७.२५	१४५	७५८.०८			३७९.०४
योग				१४५	७५८.०८			३७९.०४

- उपर धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देश विषयक शासनादेश संख्या- ३३/६९-१-१३-१४(३१)/२०१२टीसी(ती), दिनांक १६ जूनवरी, २०१३ एवं शासनादेश संख्या-१८३३/६९-१-१४-१४(३१)/२०१२टीसी(सी) दिनांक ०९ सितम्बर, २०१४ में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पुर्णाङ्क अनुदान सुलिखित करने हुए की जायेगी।
- प्रशंसन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व पितॄतीय हस्तानुस्तितका खण्ड-६ के अध्याय-१२ के प्रस्तर-३१८ में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर राक्षण रुपर से तकनीकी स्थीरूपि अवश्य प्राप्त कर तो जायेगी तथा सदाचार स्तर से तकनीकी स्थीरूपि प्राप्त होने के प्रश्नात् ये कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

२५/६/१८, १५६३४०

-२/-

3. प्रारंभिक का विमान कार्य प्रारम्भ परने से पूर्व जनविदेश के अधिकारकलालूप्र द्वारा दी गयी विमान परिवहन संस्था तोकल अथविदी से स्पैशल विमान जायेगा, मात्र ही जिम्मानुसार इनका सामग्री विमान के अपरिविधि एवं चर्यावरणीय वित्तवरेत्त प्राप्त करने के उपरात ही विमान कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं भू-व्यांकन प्रभाग/राज्य रत्नीय सम्बन्ध समिति द्वारा विमानित शर्ती/परिवर्तनीय के अधीन उपयुक्तानुसार निवेद मद में व्यय की जायेगी। योजनावागत प्रायोजना में मानवीकृत क्षेत्रफल, मानविक एवं मात्रा में विस्तीर्ण प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि विस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद के विषय जायें। सामग्री/उपकरणों का कार्य वित्तीय विषमों के अनुसार किया जायेगा। प्रायोजनाएँ पूरी गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एवं क्षेत्रान्तर अनुमत्य नहीं होगा।
6. सूडा/दूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूरी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं दी जायी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बन्धित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवृद्धि परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की डिरावृति/पुनरावृति न हो इसे सूडा/दूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नयी कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये दिया नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सनित द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदारी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति विर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/इंजीनियरिंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विवार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन सीट आवासों के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूडा/दूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के विर्माण से सम्बन्धित मानविकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के परचात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व संवर्गित दूडा द्वारा प्रायोजना सम्बन्धी सभी परिवाटों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि दिनदूरी सहित व्यथाप्रेषित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आशयस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/क्लेन के नाम्यम से विर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर अवश्यत हो जाएगी।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मुख वार्ड विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राज्यकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र०, इताहावाद दो आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाजार संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक वी सूचना एक दर्पे दो भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/आकार/डिपाजिट आते व पौंद्रल००० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा विर्गीरित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा विर्गीरित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व व्यथानियम केन्द्र व राज्य के कर्तों की स्त्रोत की कठौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्त्यों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।

12. यह प्रति को एक राज्य सर्वे द्वारा दिया गया अनुदान अवधि के दौरान इसकी प्रत्यक्ष विश्लेषण के रूप में उचित उत्तर प्रदान की दी 75 प्रतिशत धनराशि व्यवसंग जाने के पर्याप्त तथा उनके सम्बन्धीय प्रतिशत/गुणवत्ता से अनुकूल होने के पश्चात उपरोक्त उपरोक्त प्रक्रिया व्यवसंग शास्त्रज्ञ को सम्भव से अधिक करना जायेगा। तो प्रत्येक योग्य के अनुबोध/द्वितीय किरण ने धनराशि अनुमति की जाएगी। निर्धारित अप्रैल के बाद अनुप्रयोग व्यवसंग सदि कोइ हो, तो एकमुक्त शास्त्रज्ञ का वापस लावनी होगा।
13. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विभाग अभिकरण, 3040, अमोइ आहरण की वर्षीय पर अपने लेखों द्वा मिलाऊ महालेखाभार के आर्योदय के लिए यह अवधि लगायी।
14. परियोजना के सम्बन्धित निर्माण इनही से विधायकस्था धनराशि अनुमति दरमे से पूरी अनुबन्ध (एच03000700) निव्यादित किये जाने हेतु सुडा द्वारा सम्बन्धित दृष्टि को निर्देशित किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही प्रत्यक्षि के द्वय योजना आवेदन, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस03ी0एस03ी0/टी0पस03ी0 हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुमति जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. अपरोक्त उपराशि का द्वय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-आयक ने अनुदान संक्षा-81 के अनुसार लैंजा शीपैक "4216-आवास पर पूर्जीगत परिव्यय-आर्योजनाभत-02-शहरी आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवारीय भवन)-24-यूहद निर्माण कार्य।" के लाभे डाना जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अथा संख्या-५-२२८५/दस-२०१५ दिनांक 14 मगस्त, 2015 में प्राप्त अनुमति सहित से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
११०१
(एच03000 सिंह)
विशेष सचिव।

क्रमांक २०१५/१५४१(१)/५३-१-१५, निदिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुनायें एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्ति-

1. महालेखाभार (लेखा एवं हृष्टदाता), प्रथम, 3040.20 सरोजगी नावदू मार्ग, इजाहाबाद।
2. निदेशक, व्यापार विभाग परीक्षा विभाग, 3040, छठवां तल, हगम प्लेस, सिंपल लालूज, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय राज्याभार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 3040 शासन।
4. जिलाधिकारी/अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, हजोरपुरा।
5. वित्त (व्यवसंचयन) अनुभाग-४, 3040 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, 3040 शासन।
7. समाज कल्याण (व्यक्ति प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 3040, शासन।
8. मुद्रय कोषाधिकारी, जयाहर अवन, लघनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3040, लखनऊ।
10. सहायय पैद भास्तर, सुडा का विभागीय वैद साइड पर आलोड करने हेतु।
11. गार्ड फाइल/फ्रेंचार्टर सहायक/बजट समन्वयक।

आमा से,

(एच03000 सिंह)
विशेष सचिव।